R-9357
1-3-04

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2004/माघ 30, 1925
No. 79] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2004/MAGHA 30, 1925

P0-300
KM. 30
Deptt- 50
CPB. 920

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 123 (अ).—राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमास्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 35 की उप-धारा (1) और (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से न्यास बोर्ड विनियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को न्यास बोर्ड (संशोधन) विनियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. न्यास बोर्ड विनियम, 2001 में, विनियम 13 में, इसके पश्चात उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित किया जाएगा :—

(1) उप विनियम (1) में, शब्द और अक्षर "फार्म घ या" को हटाया जाएगा; और

(2) उप विनियम (8) में, शब्द और अक्षर "फार्म ङ या" को हटाया जाएगा।

3. उक्त विनियमों में, विनियम 14 के उप विनियम (1) और (2) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"स्थानीय स्तर की समिति, इसके द्वारा प्राप्त आवेदनों के विवरण, पारित आदेश, और पंजीकृत माता-पिता संघों के परामर्श से निर्धारित की जाने वाली संरक्षता के कार्यकरण के आकलन पर एक रिपोर्ट तिमाही रूप से बोर्ड को भेजगी"।

4. "फार्म घ" और "फार्म ङ" को उक्त विनियमों में हटाया जाएगा।

टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र संख्या सा.का.नि. 879(अ) दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

[फा. सं. 5-16/2003-एन.आई.-2]

श्रीमति जयति चन्द्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16 February, 2004

G.S.R. 123(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 35 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Board of the Trust Regulations, 2001, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Board of the Trust (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of the Trust Regulations, 2001 herein after referred as the said regulations, in Regulation 13, —

(i) in sub regulation (1), the words and letter "Form D or" shall be omitted; and

(ii) in sub regulation (8), the words and letter "Form E or" shall be omitted.

3. In the said Regulations, regulation 14, for sub regulations (1) and (2), the following shall be substituted, namely :—

"The Local Level Committee shall send to the Board quarterly the particulars of the applications received by it, the order passed thereon, and a report on the assessment of the functioning of the guardianship to be determined by it in consultation with the registered parents associations".

4. In the said Regulation, "Form D" and "Form E" shall be omitted.

Note: The principal Regulations were published in the Gazette of India *vide* number GSR 579(E) dated the 3rd August, 2001.

[F. No. 5-16/2003-NI-II]

Smt. JAYATI CHANDRA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.